मु.नं.–27 / 2020 GCMS ID-2020/00058 ता.रजु–04.08.2020

न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एवं जिला कलक्टर मुकाम करौली

पीठासीन अधिकारी श्री सिद्धार्थ सिहाग, आई.ए.एस.

विमल सिंह मीना पुत्र कल्ला मीना, ग्राम तुरसमपुरा, पोस्ट पांचोली, तहसील मण्डरायल, जिला करौली – अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, करौली – प्रत्यर्थी

अपील अंतर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई. एक्ट 2005

निर्णय

दिनांक–02.09.2020

1. अपीलार्थी उपस्थित नहीं।
2. प्रतिनिधि प्रत्यर्थी उपस्थित।
3. पत्रावली का अवलोकन किया गया।
4. अपीलाण्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत प्रत्यर्थी को आवेदन पत्र प्रेषित कर ग्राम तुरसमपुरा पटवार हल्का पांचोली, तहसील मण्डरायल के खाता संख्या 17 खसरा नं. 194 के संबंध में कुल रकबा, वयनामा, नामांतरकरण, उक्त भूमि पर अतिक्रमण आदि कुल 5 बिन्दुओं की सूचना चाही गई थी, जिसे प्रत्यर्थी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण अपीलार्थी द्वारा यह प्रथम अपील पेश की है।
5. प्रत्यर्थी ने पत्रांक–सू.अ.अ. / 2020 / 401 दिनांक 17.08.2020 से अवगत करवाया है कि अपीलार्थी का आवेदन दिनांक 19.05.2020 उनके कार्यालय में दिनांक 03.06.2020 को प्राप्त हुआ। अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना का संबंध तहसीलदार मण्डरायल कार्यालय से होने के कारण प्रत्यर्थी द्वारा पत्रांक–सू.अ.अ. / 2020 / 251–252 द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार मण्डरायल को अंतरित कर दिया गया था जिसकी सूचना अपीलार्थी को भी प्रेषित की गई थी। इस प्रकार प्रत्यर्थी के कार्यालय से प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नहीं है। अंत में अपील को उनके कार्यालय से खारिज फरमाने का निवेदन किया है।
6. प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी के आवेदन को निर्धारित समय अवधि के अन्दर लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार मण्डरायल को अंतरित कर दिये जाने से प्रत्यर्थी के कार्यालय से कोई कार्यवाही शेष नहीं है।
7. लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार मण्डरायल द्वारा अपीलार्थी को पत्रांक 249 दिनांक 21.08.2020 द्वारा सूचना उपलब्ध करा दी है जिस पर अपीलार्थी द्वारा कोई प्रतिकार पेश नहीं किया गया है।
8. इस प्रकार प्रत्यर्थी द्वारा उनके विनिश्चय से अपीलार्थी को अवगत करवा दिया गया है। अपीलार्थी द्वारा अन्यथा कोई प्रतिकार भी पेश नहीं किया गया है। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को विनिश्चय से अवगत करवा दिये जाने एवं अपीलार्थी द्वारा कोई प्रतिकार पेश नहीं किये जाने से यह प्रतीत होता है कि अपीलार्थी, प्रत्यर्थी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना से संतुष्ट है। अतः प्रकरण में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
9. अस्तु अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है।
10. निर्णय की प्रति उभय पक्ष के साथ–साथ लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार मण्डरायल को भी प्रेषित की जावे।
11. पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।
12. निर्णय आज दिनांक 02.09.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सिद्धार्थ सिहाग)
प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं
जिला कलक्टर
करौली